

**बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-24/2012 78(बजट) खाद्य,पटना-15, दिनांक-20-03-18
प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार ।

विषय:- मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, मांग सं0 18, उपशीर्ष 0004 पी0 डी0 एस0 सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विषय शीर्ष-0004.28 02 संविदा सेवाएँ विपत्र कोड सं0 18- 3456001020004 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए रुपये 1,23,43,360 (एक करोड़ तेईस लाख तैंतालीस हजार तीन सौ साठ) मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,


निदेशानुसार विषयांकित शीर्ष के अधीन तृतीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त राशि को वित्त विभाग के पत्रांक-व 15/बी0एस0जी0-06/2018-307/वि0 दिनांक 15.03.2018 एवं पत्रांक 2561/वि0 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उक्त शीर्ष अन्तर्गत प्रावधानित राशि से आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने हेतु सभी जिला कार्यालयों को 0004 28 02 संविदा सेवाएँ इकाई में संलग्न तालिका के अनुसार कुल रुपये 1,23,43,360 रुपये (एक करोड़ तेईस लाख तैंतालीस हजार तीन सौ साठ) मात्र को आवंटित करते हुए व्यय करने की अनुमति दी जाती है ।

क्र 0	इकाई का नाम	पुनरीक्षित उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	अवेशष	आवंटित राशि
1	0004 28 02 संविदा सेवाएँ	7,72,00,000	6,48,36,675	1,23,63,325	1,23,43,360

2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, मांग सं0-18 उपशीर्ष 0004 पी0 डी0 एस0 सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0-18 -3456001020004 अतर्गत इकाई 0004.28 02 संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगी ।


3. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अनुमण्डल आपूर्ति कार्यालयों को अपने स्तर से उपआवंटन निर्गत करेंगे तथा उसकी सूचना विभाग तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे ।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 8025 दिनांक 21.05.2013 के द्वारा दिये गये अद्यतन दिशा-निदेश तथा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन किया जा सकता है ।




5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में सम्बद्ध कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से भुगतान की जायेगी ।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि की इकाईवार विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार होंगे ।
7. इस राशि का भुगतान जिलों में कार्यपालक सहायको के तैयार पैनल से संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायकों/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरो को ही भुगतान किया जायेगा ।

विश्वासभाजन




सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-24/2012-78 (बजट) खाद्य,पटना-15, दिनांक-20-03-18
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-24/2012-78 (बजट) खाद्य,पटना-15, दिनांक-20-03-18
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-24/2012-78 (बजट) खाद्य,पटना-15, दिनांक-20-03-18
प्रतिलिपि:-सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-24/2012-78 (बजट) खाद्य,पटना-15, दिनांक-20-03-18
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा-05 (लेखा शाखा), एवं आई0 टी0 मैनेजर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव ।



मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति उपमुख्य शीर्ष 00, -लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, मांग संख्या-18 उपशीर्ष 0004 पी0डी0एस0 सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, इकाई 0004.28 02 संविदा सेवाएँ विपत्र कोड सं0- 18-3456001020004 अन्तर्गत मानदेय राशि के भुगतान के निमित्त वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित राशि :-

क्र०स०	जिला का नाम	प्रति कार्यपालक सहायक की मानदेय राशि का दर	जिलावार प्रखण्ड की सं०	जिलावार अनुमंडल की सं०	एक माह की राशि	आवंटित की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	समाहर्ता पटना	11345	23	6	283625	567250
2	समाहर्ता नालन्दा	11345	19	3	226900	453800
3	समाहर्ता भोजपुर	11345	14	3	192865	385730
4	समाहर्ता बक्सर	11345	11	2	147485	294970
5	समाहर्ता रोहतास	11345	19	3	204210	408420
6	समाहर्ता कैमुर (भभुआ)	11345	11	2	136140	272280
7	समाहर्ता गया	11345	24	4	226900	453800
8	समाहर्ता औरंगाबाद	11345	11	2	136140	272280
9	समाहर्ता नवादा	11345	14	2	170175	340350
10	समाहर्ता जहानाबाद	11345	7	1	90760	181520
11	समाहर्ता मुजफ्फरपुर	11345	16	2	181520	363040
12	समाहर्ता सीतामढ़ी	11345	17	3	170175	340350
13	समाहर्ता शिवहर	11345	5	1	68070	136140
14	समाहर्ता वैशाली	11345	16	3	170175	340350
15	समाहर्ता मोतीहारी (पू०चम्पारण)	11345	27	6	283625	567250
16	समाहर्ता बेतिया (प०चम्पारण)	11345	18	3	192865	385730
17	समाहर्ता सारण (छपरा)	11345	20	3	204210	408420
18	समाहर्ता सीवान	11345	19	2	204210	408420
19	समाहर्ता गोपालगंज	11345	14	2	158830	317660
20	समाहर्ता दरभंगा	11345	18	3	181520	363040
21	समाहर्ता मधुबनी	11345	21	5	226900	453800
22	समाहर्ता समस्तीपुर	11345	20	4	204210	408420
23	समाहर्ता सहरसा	11345	10	2	136140	272280
24	समाहर्ता सुपौल	11345	11	4	170175	340350
25	समाहर्ता मधेपुरा	11345	13	2	170175	340350
26	समाहर्ता भागलपुर	11345	17	3	204210	408420
27	समाहर्ता बौका	11345	11	1	113450	226900
28	समाहर्ता मुंगेर	11345	9	3	113450	226900
29	समाहर्ता शेखपुरा	11345	6	1	79415	158830
30	समाहर्ता लखीसराय	11345	7	1	90760	181520
31	समाहर्ता जमुई	11345	10	1	124795	249590
32	समाहर्ता खगड़िया	11345	7	2	102105	204210
33	समाहर्ता बेगुसराय	11345	18	5	181520	363040
34	समाहर्ता पूर्णियाँ	11345	14	4	170175	340350
35	समाहर्ता अररिया	11345	9	2	124795	249590
36	समाहर्ता किशनगंज	11345	7	1	90760	181520
37	समाहर्ता कटिहार	11345	16	3	170175	340350
38	समाहर्ता अरवल	11345	5	1	68070	136140
	कुल योग	431110	534	101	6171680	12343360

1,23,43,360 रुपये (एक करोड़ तेईस लाख तैंतालीस हजार तीन सौ साठ) मात्र

सरकार के विशेष सचिव ।